न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/502

1. लालाराम पुत्र श्री नाथूराम शर्मा
2. बाबू लाल पुत्र श्री नाथूराम शर्मा
   समस्त जातियान हरियाणा ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम हीरावाला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

—अपीलांट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर आदेश दिनांक 22.03.2021 प्रकरण संख्या 15/2020 ग्राम निमडिया अंतर्गत धारा 135(2)

उपस्थित—

1. श्री प्रकाश चन्द भारती वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक—28.05.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 22.03.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा—5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर के समक्ष अपीलांट्स के चाचा स्व0 श्री जगदीश प्रसाद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज ग्राम निमडिया तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 1038 रकबा 55 बीघा 2 बिस्वा में हिस्सा 1/55 एवं खसरा नं. 1037 रकबा 10 बिस्वा में हिस्सा 1/5 की स्व0 श्री जगदीश प्रसाद की वसीयत दिनांक 10.10.2008 के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा उक्त वसीयत दिनांक 10.10.2008 अपंजीकृत होने से प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 22.03.2021 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22.03.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स लालाराम पुत्र श्री नाथूराम शर्मा वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 22.03.2021 को निरस्त करने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम निमडिया तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 1038 रकबा 55 बीघा 2 बिस्वा में हिस्सा 1/55 एवं खसरा नं. 1037 रकबा 10 बिस्वा में हिस्सा 1/5 अपीलांट्स के चाचा स्व0 श्री जगदीश प्रसाद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। स्व0 जगदीश प्रसाद पुत्र श्री गोपीराम ग्राम हीरावाला तहसील जमवारामगढ के थे जो अविवाहित थे। इसलिए स्व0 जगदीश प्रसाद ने अपने उक्त आराजी के सम्पूर्ण हिस्से की वसीयत दिनांक 10.10.2008 को अपने सगे भाई नाथूलाल के पुत्र लालाराम व बाबूलाल के नाम कर दी थी। जिसके पश्चात् जगदीश जी का स्वर्गवास दिनांक 04.07.2020 को हो गया था। इसलिए अपीलांट्स ने अपनी वसीयत दिनांक 04.07.2020 के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु दिनांक 30.07.2020 को प्रार्थना पत्र तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 15/2020 दर्ज करके अपीलांट को बिना सुने ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। जो कि पूर्णतः निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये थे। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई एवं रिपोर्ट पेश होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। जो कि पूर्णतः अवैध निर्णय है। उक्त वसीयत को किसी भी न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर दिनांक 22.03.2021 को निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा विधिवत् उक्त वसीयत दिनांक 10.10.2008 अपंजीकृत होने पर एवं उक्त वसीयत के संबंध में कोई पुख्ता साक्ष्य एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं करने की दशा में ही प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के विधिवत् अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2021 को दिये गये है। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

प्रादेशिक आयुक्त
जयपुर

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित. में दफा–5 के अंकित कथनो पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन

आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 04.10.2024 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित. में दफा–5 के अंकित कथनो पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 04.10.2024 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद ग्राम निमडिया तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 1038 रकबा 55 बीघा 2 बिस्वा में हिस्सा 1/55 एवं खसरा नं. 1037 रकबा 10 बिस्वा में हिस्सा 1/5 मृतक खातेदार स्व0 जगदीश प्रसाद पुत्र श्री गोपीराम की विरासत को लेकर है। मृतक खातेदार स्व0 जगदीश प्रसाद द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी की अपीलांट्स संख्या 1 व 2 के पक्ष में की गई अपंजीकृत वसीयत दिनांक 10.10.2008 के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं। इस संबधं मे हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पटवारी हल्का जमवारामगढ से रिपोर्ट तलब की गई जिसमें पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.03.2021 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वसीयतकर्ता के वैद्य वारिस के संबंध में सजरा पटवारी हल्का रूपवास से प्राप्त करें। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय से पटवारी हल्का रूपवास से रिपोर्ट तलब किये बिना ही एवं अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं। विधिअनुसार अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाना उचित समक्षते हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 22.03.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को सुनवाई, साक्ष्य एवं दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।